

बिहार राज्य में कटिहार जिले के ब्लॉक मुख्यालयों में उप-डाकघर खोलना

635. श्री युबराज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के कटिहार जिले में अहमदाबाद, प्राणपुर, आजमनगर, बलरामपुर, कोठा, झलका और कोघा ब्लॉक के मुख्यालयों में कोई उप-डाकघर नहीं है।

(ख) क्या उक्त सभी ब्लॉक पिछले क्षेत्रों में है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के कारण वहां लोगों को भारी कठिनाई होती है;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों की जनता की सुविधा के लिए सरकार विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त ब्लॉक मुख्यालयों में उप-डाकघरों की कब स्थापना की जाएगी और यदि ऐसा करने का कोई विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगज्ज कर्नानडिस) :

(क) इन सभी खण्ड मुख्यालयों में शाखा डाकघर हैं, जिनसे मूल डाक सुविधाएं मिल जाती हैं। अलबत्ता वहां उप-डाकघर नहीं है।

(ख) डाक-विकास के प्रयोजन के लिए इन खंडों को अत्यंत पिछड़ा घोषित नहीं किया गया है।

(ग) यह मंत्रालय अत्यंत पिछड़े इलाकों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने के प्रश्न पर विशेष ध्यान देता है।

(घ) इन खंड मुख्यालयों में शाखा डाकघर काम कर रहे हैं। विभागीय मानदंडों के अनुसार उनका दर्जा बढ़ाने का फिलहाल शौचिन्य नहीं बनता है।

मार्गति के श्रमिकों की मांग

636. श्री उषसेन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्गति श्रमिक संघ ने 1977 के मई मास के उत्तराखंड में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने भूख हड़ताल की जिसमें छटनीशुदा श्रमिकों को काम पर वापिस लेने की मांग की थी ;

(ख) संघ की अन्य मुख्य मांग क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रबीन्द्र वर्मा) (क) जी हां।

(ख) इस घुनियन की अन्य मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) कम्पनी का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण।

(ii) ऐसे श्रमिकों को पुनः रोजगार जिन्हें रियाजपत्त देने के लिए विवश किया गया था।

(iii) श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के कारण कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही।

(ग) हरियाणा सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह प्रबंधकों द्वारा किए गए श्रम कानूनों के अभिकथित उल्लंघनों की जांच करे तथा इस मामले में समुचित कार्यवाही करे।
उन सरकार ने सूचित किया है कि उन 37 श्रमिकों के मामले, जिन्होंने अपनी सेवाओं की अभिकथित अन्यायपूर्ण ढंग से समाप्ति के बारे में विनिष्ट अपील दायर किए थे, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णय के लिए भेज दिए गए हैं।

Expenditure on Foreign Tours of Director-General of ESIC

638. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the total amount expended on the Director-General of Employees' State Insurance Corporation, Shri T. N. Lakshminarasayan, for the many foreign tours undertaken by him;

(b) the body which met his above expenditure; and

(c) the utility of his foreign tours to the advancement of Employees' State Insurance Corporation and the details of reports, if any, submitted by the Director-General in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Rs. 1,29,130.82 (From April, 1973 to April, 1977).

(b) Employees' State Insurance Corporation.

(c) The Director General, ESIC, who is a titular delegate to the Council of the International Social Security Association, Geneva, from India has been participating in the

various meetings of the ISSA. He has also attended a meeting of Social Security Experts of the I.L.O. at Geneva. These meetings provide an opportunity for useful exchange of information with experts and participants from other countries. Such exchange of information has been of immense help, particularly in implementing the large scale expansion programme undertaken by the Corporation.

नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय नेताओं की आलोचना

639. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मई, 1977 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारतीय नेताओं, समाचारपत्रों तथा प्रचार माध्यमों की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा नेपाल में व्याप्त संदेह के निराकरण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने एक वक्तव्य दिया जिसमें नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा दी गयी टिप्पणियों के प्रति हमारी नराशुकी व्यक्त की गयी थी। हमारे प्रवक्ता का पूर्ण वक्तव्य भारत में 26 मई, 1977 को अखबारों में छपा था। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नेपाल के